

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक- जून 01, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-**

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 254 वाहनों का चालान किया गया।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर *मास्क न लगाने वाले कुल- 09 व्यक्तियों से 9000/- रुपये शमन शुल्क* वसुला गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 40 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.मुरली पुत्र मेघू सा0 सिरसिया 2.सददाम पुत्र हबीबुलाह सा0 पकड़ी दीक्षित थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- निल/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नाम पता अज्ञात के कब्जे से पीकप नम्बर-यूपी 56 एटी 1156 बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- निल/21 धारा- 11 कस्टम अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. लक्ष्मण गुप्ता पुत्र रसीजीत नि0 केवट थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-198/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. महेश कसौधन पुत्र विजयी नि0 बूटाडीहा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-199/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

3. शम्भू पुत्र वाशदेव नि0 छितौना थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-200/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

4. प्रमोद मुसहर पुत्र चिनक नि0 कोहिहारी थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-201/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

5. अमरनाथ गौड़ पुत्र ध्रुव नारायन नि0 कोटहवल थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-202/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

6. आकाश पुत्र कोदई नि0 करमाकोट थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-203/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दीपचन्द चौहान पुत्र कैलाश नि0 पिपरा रसूलपुर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-246/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामसूरत पुत्र बेचू नि0 तिकोनिया वनटांगिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-114/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 31/01-05/06-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 35 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।